राजस्थान सरकार

निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:–0141–2740837, **फैक्स** 0141–2742309, **ई मेल**:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(आर–18/1986)/अलेसे–III/ 1646 **दिनांक** :– 27-12-2022

कार्यालय आदेश

पुलिस अधीक्षक–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर के पत्रांक भ्रनिब/अशा/3/06/708 दिनांक 06.05.2006 द्वारा यह अवगत कराने पर कि श्री राजकुमार स्वामी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण उपखण्ड, अलवर को 4500/– रूपये की रिश्वत लेते हुए पंजीबद्ध अपराध संख्या 120/2006 में रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है, विभागीय आदेश क्रमांक 560–566 दिनांक 16.05.2006 द्वारा श्री स्वामी को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 20.01.2012 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री राजकुमार स्वामी, कनि. लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया तथा वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2 (1)/वित्त/राजस्व/2012 दिनांक 24.04.2012 के अनुसरण में विभागीय आदेश संख्या 27/2012–13 क्रमांक 553–562 दिनांक 26.04.2012 के द्वारा श्री राजकुमार स्वामी, कनि. लेखाकार जो दिनांक 16.05.2006 से निलम्बित चल रहे थे, को निलम्बन से बहाल किया गया तथा निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किये जाने का निर्णय लिया गया।

माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर के निर्णय दिनांक 19.05.2022 के द्वारा श्री राजकुमार स्वामी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया गया है। उपनिदेशक अभियोजन–प्रथम, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज., जयपुर के पत्रांक 3279–81 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार माननीय न्यायालय सैशन न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर के पारित निर्णय दिनांक 19.05.2022 के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका है। श्री राजकुमार स्वामी के विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित/ प्रस्तावित नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम खण्ड–I के नियम 54 के अन्तर्गत श्री राजकुमार स्वामी, कनि. लेखाकार की निलम्बन अवधि के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं किः–

1. श्री राजकुमार स्वामी को निलम्बन काल में भुगतान किये गए निर्वाह भत्ते की राशि को समायोजित करते हुए अन्य सभी वेतन एवं भत्ते देय होगे।

तथा

2. अन्य देय समस्त पेंशन योग्य परिलाभों की गणना के लिए उक्त निलम्बन अवधि को गणना योग्य माना जावेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(आर–18/1986)/अलेसे–III/ 1646 **दिनांक** :– 27-12-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उपनिदेशक अभियोजन–प्रथम, महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राज., जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, अलवर।
5. उपनिदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
6. श्री राजकुमार स्वामी, सेवनिवृत कनि. लेखाकार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर, राजस्थान।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

G:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx1090